

# COVID-19 के बारे में टोकियो के निवासियों से अनुरोध

- अभी बड़ी संख्या में लोग COVID-19 से पीड़ित हैं। स्थिति खतरनाक है और यदि यह संख्या बढ़ती है तो स्थिति और भी अधिक खतरनाक हो जाएगी।
- टोकियो में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गयी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकालें और यथासंभव अपने घर में ही रहें। यात्रा नहीं करें। लोगों से मिलने या बात करने से परहेज करें।
- आपातकालीन स्थिति की घोषणा का तात्पर्य लोगों से अपनी जीवन शैली को बदलने का एक अनुरोध है।

कब से कब तक

1 जून (मंगलवार) की मध्यरात्रि से 20 जून (रविवार) की मध्यरात्रि तक

अनुरोध

टोकियो के निवासी

कृपया अपने घर पर ही रहें

- यथासंभव अपने घर पर ही रहें। बाहर जाने से परहेज करें।
- कृपया शनिवार, रविवार और शाम के समय घर पर ही रहें।
- टोकियो आने या यहाँ से बाहर जाने के लिए यात्रा नहीं करें।

दुकानदार

दुकानों को बंद रखने, कार्य अवधि घटाने और गतिविधियों के बारे में अनुरोध। ※कृपया अगला पेज देखें।



# प्रतिष्ठानों के संबंध में अनुरोध

## ● प्रतिष्ठानों के आकार के अनुसार अलग-अलग अनुरोध है

|                       | प्रतिष्ठान के उदाहरण                                                                                    | अनुरोध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| व्यवसाय               | डिपार्टमेंटल स्टोर, शॉपिंग सेंटर आदि (दैनिक जरूरतों को पूरा करने वाले अभिक्रमों को छोड़ कर)             | <p>1000 वर्ग मी. से बड़े प्रतिष्ठानों के लिए (दैनिक जरूरतों को पूरा करने वाले अभिक्रमों को छोड़ कर)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यदिवस: दूकानें 5 बजे सुबह से 8 बजे शाम तक खुली रहेंगी। भीड़ एकत्रित नहीं हो अतः परिसर में लोगों की संख्या को सीमित रखें।</li> <li>शनिवार और रविवार: दूकानें बंद रखें।</li> </ul> <p>1,000 वर्ग मी. या इससे कम क्षेत्र वाले प्रतिष्ठानों के लिए (दैनिक जरूरतों को पूरा करने वाले अभिक्रमों को छोड़ कर)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रतिष्ठान 5 बजे सुबह से 8 बजे शाम तक खुली रहेंगी। भीड़ एकत्रित नहीं हो अतः परिसर में लोगों की संख्या को सीमित रखें।</li> </ul> |
|                       | पाचिंको पार्लरों, गेम वीडियो आर्केड आदि                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | सार्वजनिक स्नानघरों में बने निजी स्नान कक्ष, वीडियो रेंटल स्टोर जिसमें देखने के लिए निजी कमरे हों, आदि। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | बड़े स्नानघर, डे-स्पा, आदि।                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| गतिविधियाँ<br>(इवेंट) | संग्रहालय, आर्ट गैलरी, चिड़ियाघर आदि।                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>आगंतुकों की संख्या 5,000 से कम रखें। कृपया अधिकतम 50% क्षमता पर ही संचालन करें।</li> <li>व्यवसायिक कारोबार का समय: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ यदि कोई कार्यक्रम (इवेंट) हो: रात्रि के 9 बजे तक</li> <li>○ यदि कोई कार्यक्रम (इवेंट) न हो: 1000 वर्ग मी. से बड़े प्रतिष्ठानों के लिए शाम के 8 बजे तक। 1000 वर्ग मी. या इससे छोटे प्रतिष्ठानों के लिए अधिकतम शाम के 8 बजे तक।</li> </ul> </li> <li>भीड़ एकत्रित नहीं हो अतः परिसर में लोगों की संख्या को सीमित रखें।</li> </ul>                                                                                                  |
|                       | खेल के मैदान, जिम, स्पोर्ट्स क्लब, आदि।                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | सिनेमाघर, थिएटर, मनोरंजन हॉल, आदि।                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | थीम पार्क, मनोरंजन पार्क आदि।                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | सभाओं, सभा हॉल आदि के लिए प्रतिष्ठान।                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | प्रदर्शनी स्थल, सांस्कृतिक कक्ष, आदि।                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | होटल एवं सराय (सिर्फ भोजन कक्ष)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# प्रतिष्ठानों के बारे में अनुरोध (जैसे कि रेस्तरां और कैफे)

अनुरोध है कि प्रतिष्ठानों को बंद रखें या अपने कारोबार के समय को घटाएं

| प्रतिष्ठान                                                                                                                                | प्रतिष्ठान के उदाहरण                                                                                    | अनुरोध                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भोजनालय एवं मनोरंजन प्रतिष्ठान जो ① से ③ में से कुछ भी करते हैं<br>① शराब परोसें<br>② मेहमानों को शराब लाने दें<br>③ कराओके प्रदान करें   | भोजनालय:<br>रेस्तरां (बार सहित), कैफे, आदि (डिलीवरी और वैसे ऑर्डर जो खुद से ले जाने वाला हो, को छोड़कर) | कृपया बंद रखें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| भोजनालय एवं मनोरंजन प्रतिष्ठान जो निम्न में से कोई नहीं करते हैं:<br>① शराब परोसें<br>② मेहमानों को शराब लाने दें<br>③ कराओके प्रदान करें | मनोरंजन प्रतिष्ठान: नाइट क्लब, सैक बार आदि।                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>● दुकानें शाम के 8 बजे तक खुली रख सकते हैं।</li><li>● भीड़ एकत्रित नहीं हो अतः परिसर में लोगों की संख्या को सीमित रखें।</li><li>● कृपया अपने व्यापार के अनुसार निर्देशों का पालन करें।</li></ul>                                                                              |
| सभाओं वाले प्रतिष्ठान के लिए                                                                                                              | विवाह स्थल                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>● शराब न परोसें।</li><li>● आगंतुकों को शराब लाने की अनुमति न दें।</li><li>● कराओके का उपयोग ना करें।</li><li>● ये प्रतिष्ठान शाम के 8 बजे तक खुली रख सकते हैं।</li><li>● कृपया सभाओं को डेढ़ घंटे तक का, 50 लोगों की संख्या तक एवं अधिकतम 50% क्षमता तक सीमित रखें।</li></ul> |